

क्रमांक : आर.एन.सी./लेखा/जीएसटी/2023/972

दिनांक : 01/06/2023

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 963 दिनांक 01-06-2023 द्वारा राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा अन्य राज्यों को अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजने हेतु "अन्य राज्य अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क" के रूप में 800/-रुपये (जीएसटी 18 प्रतिशत अतिरिक्त) प्रति अभ्यर्थी से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त आदेश दिनांक 08-06-2023 से प्रभावी होगा।

यह संशोधित कार्यालय आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात जारी किये जा रहे हैं।

६०।

(डॉ० शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक : आर.एन.सी./लेखा/जीएसटी/2023/973-77

दिनांक : 01/06/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
- 2- प्रभारी अधिकारी रजिस्ट्रेशन शाखा, आरएनसी, जयपुर।
- 3- मैसर्स वेब स्वचायर्स साफ्टवेयर प्रा० लि०, जयपुर।
- 4- प्रोग्रामर (अनुबन्ध), आरएनसी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्तानुसार ऑनलाईन प्रोग्रामिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर